

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, कसमार

अनुसूची 14 - फारम सं० 562।

आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक/ता०.....से.....तक

जिला- बोकारो, वाद सं० 40/2021-22 सन् 20.....

केस का प्रकार नीलाम पत्र वाद (बैंक प्रवण लेह)

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

03.09.24

प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, कसमार
 शाखा, जिला- बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता के द्वारा देनदार नरेन्द्र प्रसाद महतो
पिता मालिक महतो ग्राम-बेन्दौराड़ पोतवाना- कसमार
 जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 44,458-00
दोवाली रु 500 चार दो अंशान रूप में की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल
 किया गया है। साथ ही "कोर्ट फी" रुपये 3592-00 तीन हजार पांच सौ दाम्बे रु.
कुल 48050-00 अड़तालीस हजार पचास रुपये का वसूली दावा दाखिल किया गया है।
 अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है।

अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत नोटिस निर्गत करें।

नोटिस तामिला हेतु अधियाची पदाधिकारी को भेजें।

अभिलेख दिनांक..... को उपस्थापित करें।

HO
3-9-24
 नीलाम पत्र पदाधिकारी,
 -सह-
 अंचल अधिकारी
 कसमार।